लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/13/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:–12.02.2021
GCMS No.:-2021/60

श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 13/2021/(09.03)/170 दिनांक 12.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 09.03.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 09.03.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2021 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 09.03.2021) के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा आवेदन दिनांक 02.01.2021 में वर्णित सूचना की प्रमाणित छायाप्रतियां चाही गई थी जो लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2699 दिनांक 05.02.2021 में यह अंकित किया है कि तहसीलदार, डूंगला को सूचना प्रदान कराने के

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंध में सहमति प्राप्त करने हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार, डूंगला श्री पन्नालाल ने अपने पत्रांक 103 दिनांक 22.01.2021 द्वारा चाही गई सूचना दिये जाने में असहमति जताई है। मेरा यह निवेदन है कि श्री पन्नालाल रेगर, तहसीलदार, डूंगला की शैक्षणिक योग्यता, सेवाकाल में प्राप्त पदोन्नति आदि जानने का मुझे अधिकार है जनता के द्वारा दिये टैक्स से इनको वेतन प्राप्त होता है। अतः वांछित सूचनाऐं आवेदन के अनुरूप पूर्ण, स्पष्ट एवं सही अतिशीघ्र निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/38 दिनांक 24.02.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 05.01.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/स्था./प 4–1( ) लोसूअ/2021/100 दिनांक 01.02.2021 से कुल किता 02 प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2699 दिनांक 05.02.2021 से प्रार्थी को ड़ाक द्वारा निः शुल्क भिजवाई गई। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः

अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/38 दिनांक 24.02.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 02.01.2021 से श्री पन्नालाल रेगर, तहसीलदार डूंगला की सेवा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 1 से अन्त तक की सेवा पुस्तिका मय संलग्न समस्त दस्तावेजों सहित की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है जो कि तहसीलदार डूंगला की व्यक्तिगत सूचना है तथा श्री पन्नालाल रेगर, तहसीलदार डूंगला ने उक्त सूचना देने के संबंध में जरिये पत्रांक 103 दिनांक 22.01.2021 से अपनी असहमति प्रकट की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ञ) के अनुसार "ऐसी सूचना, जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसके प्रकटन का किसी लोक कियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का प्रकटन न्यायोचित है।"

चूंकि श्री पन्नालाल रेगर, तहसीलदार डूंगला ने अपनी व्यक्तिगत सूचना देने के संबंध में अपनी असहमति प्रकट की है तथा हमारे मत में भी उक्त सूचना के प्रकटन में कोई लोक हित निहित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./13/2021(सू.अ.)/250 दिनांकः– 09/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)